	their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	
12	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune- Chairman 2. A Group 'A' officer from other Central Government Department- Member 3. ChiefAdministrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune, - Member 3. Under Secretary, In-charge E-II Section, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation - Member 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13
Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/9/2021-E-II]

VINOD KUMAR GUPTA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते,हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (मत्स्यपालन प्रभाग, समूह'क', समूह'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी)से हैं उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) सेस्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद**	**आयु-सीधी भर्ती हेतु आयुसीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी)	01* (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (12,3100 रु. - 21,5900 रु.)में स्तर-13	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वाराया प्रोन्नति से अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(11)
पदोन्नति : उपायुक्त (मत्स्यन बंदरगाह); निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान; निदेशक,केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान; निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थानमें वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78800-209200/-)में पांच वर्ष की नियमित सेवा। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके

द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निर्धारित अर्हता सेवा के अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित ग्रेड या पद में पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या कानूनी या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः-

(क) (i)मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या

(ii)मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर12(रु. 78800-209200/-) या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री या मात्स्यिकी विज्ञान में मास्टर या समुद्री जीव विज्ञान में मास्टर या औद्योगिक मात्स्यिकी विज्ञान में मास्टर या जलकृषि विज्ञान में मास्टर या मात्स्यिकी विज्ञान में मास्टर;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से प्रबंधन, नीति और योजना, निर्माण, और मात्स्यिकी, व्यापार या मात्स्यिकी स्वास्थ्य से संबंधित विकास स्कीमों की मॉनीटरी सहित मात्स्यिकी (अंतर्देशीय या समुद्री या जलकृषि) के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास का दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणीशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य का डर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणत या पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य यूपीएससी - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशा.), मत्स्यपालन विभाग- सदस्य 3. संयुक्त सचिव, (मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग -सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है

[फा. सं 12018/1/2022 प्रशा.I]

वी. नागानंद, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 1st August, 2023

G.S.R. 90.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group 'A', Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015 in so far as they relate to the Post of Joint Commissioner (Fisheries), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Commissioner (Fisheries) in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Joint Commissioner (Fisheries) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Aged-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Joint Commissioner (Fisheries).	01 (2023) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)in the pay matrix.	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which Deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion : Deputy Commissioner (Fishing Harbour); Director, Central Institute of Fishing Nautical and Engineering Training; Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries; Director, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training in Level-12 (Rs.78800- 209200/-) of pay matrix with five years of regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. **Deputation (Including Short-Term Contract) :-** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Statutory or Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Recognised Research Institutes:- . (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment there to on regular basis in posts in Level- 12 (Rs.78800- 209200/-) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc. or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc. in Fisheries Science from a recognised University or Institute. (ii) ten years experience of research or development in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) including management, policy and planning, formulation and monitoring of development Schemes for fisheries and trade or fishery health related matter from a Central Government or State Government Department or Union territory Administration or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Recognised Research Institute. Desirable Qualification: Doctorate degree in Zoology from a recognised University or Institute. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-termcontract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limits for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for promotion):- 1. Chairman or Member, UPSC - Chairman 2. Joint Secretary (Admn.), Department of Fisheries - Member 3. Joint Secretary (Fisheries), Department of Fisheries - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation (including short-term contract) basis.

[F. No. A-12018/1/2022 Admn I]

V. NAGANAND, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.08.08 15:58:04 +05'30'